कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक– 22/6/16

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, तेघड़ा
जिला– बेगुसराय

महाशय,

नगर पंचायत, तेघड़ा के प्रारंभ (वर्ष 2012–13) से 2014–15 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 1765 / 15–16 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,
–ह०–
(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14562/83 दिनांक– 22/6/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, बेगुसराय

(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 1765/15–16

भाग- I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	–	नगर पंचायत तेघड़ा
2	लेखापरीक्षा की अवधि	–	प्रारम्भ से वित्तीय वर्ष 2014-15 तक
3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	–	अंकेक्षण में प्रस्तुत एवम् जाँच किये गए पंजियों और अभिलेखों की सूची परिशिष्ट-I में तथा अप्रस्तुत पंजियों और अभिलेखों की सूची परिशिष्ट-II पर दी गई है
4	लेखापरीक्षा की तिथि	–	दिनांक 28.01.2016 से 03.02.2016
5	**प्रशासन**		
(i)	कार्यपालक पदाधिकारी का नाम	–	श्री निरज कुमार, 05.11.2012 से 02.07.2013 श्री सुभाषचन्द्र मंडल, 03.07.2013 से 17.07.2013 श्री रवि कुमार, 19.07.2013 से 06.11.2013 श्री संतोष कु रजक 07.11.2013 से 27.06.2014 मो0 रजिक, 02.07.2014 से 18.12.2014 तक श्री अनिल सिन्हा 19.12.2014 से 31.03.2015 तक
(ii)	अध्यक्ष का नाम	–	श्रीमति नसीमा खातुन 12.10..2012 से 31.03.2015
(iii)	उपाध्यक्ष का नाम	–	श्री सुरेश प्रसाद रौशन 12.10..2012 से 31.03.2015
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	–	1. श्री विश्वपति सिंह, स.ले.प.अ. 2. श्री अमरनाथ कुमार, स.ले.प.अ. 3. श्री शशि रंजन, व.ले.प. 4. श्री शिवराम, ले.प.
7	निरीक्षण पदाधिकारी का नाम		श्री राजीव कुमार, व.ले.प.अ.
8	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन का अनुपालन	–	अप्राप्त
9	कार्यपालक पदाधिकारी से बात	–	दिनांक 03.02.2016
10	**लेखापरीक्षा का परिणाम**		
	अंकेक्षण के दौरान वसूल की गई राशि	–	10800
	वसूली हेतु सुझाई गई राशि	–	873190
	आपत्ति के अधिन रखी गई राशि **(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट- IV पर)**	–	10432919

कंडिका संख्या- 11 बजट प्राक्कलन

बजट प्राक्कलन की नूमना जांच में निम्न त्रुटियॉ पाई गयी–

1. बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 82(9) के अनुसार बजट प्राक्कलन घाटे का नहीं होगा। अर्थात् अंतशेष शून्य से कम नहीं होगा। परंतु इसके विपरीत वर्ष 2014–15 का बजट प्राक्कलन घाटे का रू. 2281234 का पारित किया गया था।
2. बजट प्राक्कलन वितीय वर्ष 2014–15 से नये प्रपत्र में बनाना था, परन्तु यह नहीं बनाया गया था।
3. वास्तविक तथा बजट प्राक्कलन में 5 प्रतिशत से अधिक विचलन नहीं होना था। परंतु यह 81% से 99% तक था।

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	वास्तविक राशि (आय)	बजट राशि (आय)	विचलन (बजट वास्तविक)	बजट राशि (व्यय)	वास्तविक राशि (व्यय)	विचलन (बजट वास्तविक)
1	2013-14	45250989	244278000	81%	307523615	2717052	99%
2	2014-15	52056738	358640034	85%	360921268	60096299	83%

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि भविष्य में बजट प्राक्कलन लाभ का बनाया जायेगा एवं विचलन 10% तक सिमित रखा जायेगा | बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली के प्रावधान के अनुसार विचलन 5% की सीमा में रखा जाय। भविष्य में बजट प्राक्कलन उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर बनाया जाए।

कंडिका संख्या-12 आय–व्यय

(i) सामान्य रोकड़ पंजी

कार्यालय नगर पंचायत तेघड़ा (बेगुसराय) वर्ष 2013–14 (12.10.2013) से 2014–15 तक के लेखापरीक्षा के क्रम में लेखापाल रोकड़ पंजी की मांग की गयी। बताया गया कि लेखापाल रोकड़ पंजी का संधारण नहीं किया गया, लेखापाल रोकड़ पंजी के जगह सामान्य रोकड़ का संधारण किया गया है। प्रस्तुत सामान्य रोकड़ पंजी का आय– व्यय निम्न प्रकार है–

	2013–14	2014–15
प्रारंभिक शेष	0	42533937
आय	45250989	52056738
कुल प्राप्ति	45250989	94590675
व्यय	2717052	60096299
अवशेष राशि	42533937	34494376

विभिन्न बैंको में दिनांक 31.03.15 को अवशेष राशि

1	Bank of Broda, Begusarai A/c No. 12200100020134	—	1793122
2	SBI Teghra A/c 32802443230	—	1417706
3	P.L. खाता	—	13763299
4	कबीर अंत्येस्टि (विषेष घटक) A/c 33586091598	—	4019
5	कबीर अंत्येस्टि (सा0 घटक) रोकड़ बही A/c - 33586093539	----	2558
6	माध्यमिक पुस्तकालयाध्यक्ष वेतन A/c- 33314353616	---	22454
7	नगर पंचायत निधि UCO Bank A/c 13770210001189	—	465242-56
8	कम्प्यूटर SBI, Teghra A/c 33860549282	—	65009
9	माध्यमिक शिक्षक (i) SBI, Teghra A/c No. 33314378529 (ii) A/c No. 34148819780	 — —	 3814 1068
10	नगर सरकार भवन Bank of India, BTPS Begusarai (i) A/c No. 460010110007986 (ii) SBI, Teghra A/c 34342111971	 — —	 16899944 55850
			34494085.56

अंकेक्षण टिप्पणी–

रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2015 को अंतशेष रू. 34494376,

बैंक का अंतशेष रू. 34494085.56,

अंतशेष राशि रू. 290.44

(3)

अतः अंतर राशि का कारण एवं बैंक समाधान विवरणी के बारे में लेखापरीक्षा दल को स्पष्ट नहीं किया गया।

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि संधारण कर लिया जायेगा |

(ii) **सहायक रोकड़ बही का आय–व्यय विवरण**

	2013–14	2014–15
1. प्रारंभिक शेष	0	42533937
2. आय	45250989	50478493
3. कुल आय	45250989	93012430
4. कुल व्यय	2717052	58518256
अंतशेष (1–2)	42533937	34494174

नगर पंचायत तेघड़ा वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2014–15 के आय–व्यय में सामान्य रोकड़ बही एवं सहायक रोकड़ बही के विवरण निम्न प्रकार है–

	2013–14	2014–15	अन्तर
सहायक रोकड़ बही का अंतशेष	42533937	42533937	0
सामान्य रोकड़ बही का अन्तशेष	34494174	34494376	202

अंकेक्षण टिप्पणी–

सामान्य रोकड़ बही 2014–15 मे 202 रू. का अन्तर को सामाधान कर अंकेक्षण **में प्रस्तुत नहीं किया गया**।

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि सहायक रोकड़ वही **एवं जनरल** रोकड़ वही **का मिलान कर समाधान कर लिया जायेगा** | समाधान विवरणी को अगलें अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र
DISCLAMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधरित है। कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग- II (क)

-शून्य-

भाग- II (ख)

कंडिका संख्या-1 हाई मास्ट लाईट का अनियमित क्रय- रु 50.96 लाख

दिनांक 30.08.2014 के बैठक में सशक्त स्थायी समिति, नगर पंचायत तेघड़ा द्वारा तीन अदद हाई मास्ट लाईट कोटेशन निकालने की स्वीकृति दी गई मगर दिनांक 05.09.2014 को मात्र एक अदद ही हाई मास्ट लाईट क्रय करने हेतु निविदा निकाली गई जो सशक्त स्थायी समिति की स्वीकृति/आदेश का उल्लंघन है। इस निविदा में चार फर्मों ने भाग लिया जिनमे से आशा इलेक्ट्रॉनिक्स, बिहट (बेगुसराय) एवम् मोहनी इंटरप्राईजेज, खगड़िया के तकनीकी निविदा असफल रहे जबकि भवानी इंटरप्राईजेज, मुजफ्फरपुर लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिकल वर्क्स, सिवान सफल रहे। निविदा के शर्तों के अनुसार संवेदक को ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार से निबंधित होना अनिवार्य था एवम् इसके साथ-साथ निविदादाता को विद्युत तथा सुपरवाईजर अनुज्ञप्ति भी शामिल करना था। यहाँ स्पष्ट करना है कि लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिकल वर्क्स, सिवान द्वारा इन शर्तों को पूरा नहीं किये जाने के बावजूद भी इनका वित्तीय निविदा खोला गया जो नियमानुकूल नहीं है। निविदा के शर्त के अनुसार तकनीकी निविदा में सफल संवेदक का ही वितीय निविदा खोला जाना था।

निविदा के आधार पर वित्तिय वर्ष 2014-15 में क्रमशः तीन, दो और तीन कुल आठ हाई मास्ट लाईट का क्रय किया गया जिसकी विवरणी निम्न है-

क्र.सं	आपूर्तिकर्ता का नाम	कार्यादेश		प्रति अद्द दर	कुल क्रय	कुल राशि
		पत्रांक	दिनांक			
1	लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रिकल्स वर्क्स, सिवान	296	09.01.2014	6,37,000	3	19,11,000
2	लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रिकल्स वर्क्स, सिवान	483	1812.2014	6,37,000	2	12,74,000
3	लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रिकल्स वर्क्स, सिवान	74	02.02.2015	6,37,000	3	19,11,000
कुल					**8**	**50,96,000**

नगर विभाग एवम् आवास विभाग के पत्र संख्या-02 ब/विविध 26-04/10-29 दिनांक 07.02.2014 में स्पष्ट वर्णित है कि बिना वैद्ध विद्धुत संबध की व्यवस्था किये एवम् इससे सम्बंधित नियमित व्यय की व्यवस्था किये हाई मास्ट लाईट का अधिष्ठापन नहीं किया जाय मगर संचिका में इससे सम्बंधित प्रमाण नहीं पाया गया | संचिका में यह भी नहीं पाया गया कि किस कंपनी का लाईट लगाया गया और लाईट निर्माता कंपनी ISO- 9001/2008 से प्रमाणित है या नहीं |

कार्यालय द्वारा भण्डार पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा है | संवेदक द्वारा किन-किन स्थानों पर हाई मास्ट लाईट का अधिष्ठापन किया गया इसका भी प्रमाण संचिका में नहीं पाया गया | बिना गुणवत्ता जाँच के संवेदक को राशि का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए था मगर कार्यालय द्वारा राशि का भुगतान कर दिया गया है |

अंकेक्षण आपत्ति

1. सशक्त स्थायी समिति, नगर पंचायत तेघड़ा द्वारा तीन अदद हाई मास्ट लाईट कोटेशन निकालने की स्वीकृति दी गई थी मगर मात्र एक अदद ही हाई मास्ट लाईट क्रय करने हेतु निविदा निकाली गई और इसके आलोक में आठ हाई मास्ट लाईट का क्रय किया गया |
2. निविदा के शर्तों के अनुसार संवेदक को ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार से निबंधित होना अनिवार्य था एवम् इसके साथ-साथ निविदादाता को विद्धुत तथा सुपरवाईजर अनुज्ञप्ति भी शामिल करना था | लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिकल वर्क्स, सिवान द्वारा इन शर्तों को पूरा नहीं किये जाने के बावजूद भी इनका वित्तीय निविदा खोला गया और इनको कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई जो कि कार्यादेश के उल्लंघन के साथ-साथ अनियमित भी है |
3. नगर विभाग एवम् आवास विभाग के निदेशानुसार बिना वैध विद्धुत संबध की व्यवस्था किये एवम् इससे सम्बंधित नियमित व्यय की व्यवस्था किये हाई मास्ट लाईट का अधिष्ठापन नहीं किया जाना था मगर विभागीय निर्देश/ आदेश का पालन नहीं किया गया |
4. बिना गुणवत्ता जाँच के संवेदक को राशि का भुगतान किया गया जो कि उचित नहीं है|

5. कार्यालय द्वारा भण्डार पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि संवेदक द्वारा किन-किन स्थानों पर हाई मास्ट लाईट का अधिष्ठापन किया गया और क्या ये नियमित कार्य कर रहे है |

उपयुक्त बिन्दुओं के जवाब में कार्यालय द्वारा बताया गया कि जानकारी के अभाव में ऐसा किया गया भविष्य में उपरोक्त सामग्रियों का क्रय करने में अनुपालन किया जाएगा | संवेदक को ऊर्जा विभाग से निबंधित नहीं होने के प्रसंग में बताया गया कि इस बारे में विद्युत विभाग से पत्राचार किया जाएगा |

जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि निविदा के शर्तों में ही ये सारी बातें अंकित है, इसके बावजूद भी कार्यालय द्वारा नियमों एवम् शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया | साथ-साथ ऐसे संवेदक को सामग्री आपूर्ति हेतु आदेश दिया गया जो तकनीकी निविदा में सफल नहीं था यानि ऊर्जा विभाग से निबंधित नहीं था | अतः इस आलोक में व्यय राशि रु **50,96,000** को अंकेक्षण आपति के अधीन रखी जाती है |

कंडिका संख्या- 2 बिना आवश्यकता के एक अदद **फॉगिंग मशीन का क्रय**

दिनांक 27.05.2014 को सशक्त स्थायी समिति की बैठक के प्रस्ताव सं0 2 के अनुसार 1 अदद फागिंग मशीन मीडियम आकार की क्रय करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। दिनांक 29.08.14 को निविदा आमंत्रण सूचना भी 1 अदद के लिए प्रकाशित किया गया था।

कार्यालय द्वारा प्राप्त निविदा में मे० भारद्वाज ट्रेडर्स, बेगूसराय का मॉडल नं0 **'GIANT'** जिसका दर रू. 95,800 (कर सहित) था। दर वार्त्ता के पश्चात रू. 95000 पर सहमति हुआ तथा फर्म को पत्रांक 300 दिनांक 09.10.14 द्वारा फर्म को 2 अदद् की आपूर्ति का आदेश दिया गया। फर्म द्वारा दिनांक 19.11.14 को इसे आपूर्ति किया गया। तदनुसार फर्म को तेरहवीं वित्त आयोग मद से राशि रू. 190000 का भुगतान चेक सं0 587154 से दिनांक 09.12.14 को किया गया।

अंकेक्षण टिप्पणी–

1. बोर्ड/सशक्त स्थायी समिति की स्वीकृति के बिना एक अतिरिक्त फागिंग मशीन का क्रय किया गया।
2. इसकी लॉग बुक अगस्त 2015 से संधारित थी। इसके पूर्व का लॉगबुक अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। फागिंग मशीन की दवा भी मात्र 2 लीटर 09.03.15 को क्रय किया गया था। इसके पूर्व या पश्चात् कोई भी दवा का क्रय नहीं हुआ था।

127

उपरोक्त से स्पष्ट है कि बिना आवश्यकता के दूसरा अदद् का क्रय हुआ था।

दूसरा अदद् क्रय **किये जाने के जवाब में** कार्यालय द्वारा बताया गया कि दूसरा अदद फागिंग मशीन का प्रस्ताव अगले बोर्ड की बैठक में पारित किया जायेगा | राशि उपलब्ध होने के कारण क्रय कर लिया गया था |

जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि बिना किसी प्रयोजन के एक अतिरिक्त फागिंग मशीन का क्रय किया गया जबकि उस हेतु दवा का क्रय नहीं किया गया | अतः राशि रू. 95000 **अंकेक्षण आपति के अधीन रखी जाती है |**

कंडिका संख्या- 3 डस्टवीन का भंडार पंजी एवं अधिष्ठापन स्थल अप्रस्तुत

डस्टबिन क्रय संचिका के अवलोकन में पाया गया कि दिनांक 03.12.14 को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में प्रस्ताव संख्या 5 में 100 पीस स्टैण्ड कूड़ादान खरीदने का प्रस्ताव पास किया गया था। जिसके लिए प्राप्त कोटेशन (QUOtation) में मुस्कान इंटरप्राइजेज का दर न्यूनतम होने के फलस्वरूप रू. 11935 की दर से 100 पीस पत्रांक 370 दिनांक 29.11.2014 को दिया गया।

कुल डस्टबीन (100 पीस) रू. 1193500 का भुगतान मुस्कान इंटरप्राइजेज को (रोकड़ बही दिनांक 03.02. 2015 मद चतुर्थ वित्त को) किया गया है।

खरीदी गयी डस्टबीन (कूड़ेदान) का भंडार पंजी एवं अधिष्ठापन प्रमाण पत्र संचिका में संलग्न नहीं है एवं मांगे जाने पर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) डस्टबीन क्रय से संबंधित भंडार पंजी का संधारण **कार्यालय द्वारा नहीं किया गया था।**

(ii) क्रय की गयी डस्टबीन का अधिष्ठान (स्थल) सूची **भी** कार्यालय **द्वारा** प्रस्तुत **नहीं किया गया।**

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि भंडार पंजी का संधारण किया जायेगा | अधिष्ठापन सूची संधारित कर उपलब्ध करा दिया जायेगा जो कि संतोषप्रद नहीं है क्योंकि भण्डार पंजी एवम् अधिष्ठापन की सूची तैयार नहीं किया जाना अनियमित है।

कंडिका संख्या- 4 स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन रू. 15.68 लाख (भंडार पंजी, अधिष्ठापन स्थल अप्रस्तुत)

सशक्त स्थायी समिति के अन्याय सं0 1 तथा दिनांक 24.08.2013 के साधारण बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से प्रत्येक वार्ड में स्ट्रीट लाईट हेतु निविदा निकालने की स्वीकृति दी गयी जिसमें निविदा की तिथि 20.09.2013 निर्धारित की गयी। इस आलोक में निविदादाताओं द्वारा निविदा भी डाला गया मगर उप समिति के आपत्ति के कारण इसे निरस्त कर पुनः निविदा निकाला गया, जिसमें निविदा की तिथि 15.11.2013 निर्धारित की गयी मगर इस दिन बंदी होने के कारण निविदा 03.12.2013 को निर्धारित की गई। अंततः ज्ञापांक सं0 346 दिनांक 17.12.2013 द्वारा प्रकाशित निविदा सूचना सं0 01/2013–14 के संदर्भ में मेसर्स हिदायत इन्टरप्राइजेज का चयन किया गया।

कार्यालय द्वारा निकाले गये आमंत्रण सूचना में मात्र एक अदद् का दर मांगा गया था। संचिका में तुलनात्मक विवरणी नहीं पाया गया जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका कि और कौन– कौन संवेदकों ने वित्तीय या तकनीकी निविदा डाली, संचिका में भी इससे संबंधित प्रमाण पत्र नहीं पाया गया। इस कारण यह पता नहीं चल सका कि कितने लोगों ने भाग लिया है।

कार्यालय द्वारा निर्गत में 550 सेट हेतु प्रति सेट रू. 2850 की दर से क्रय के लिए दिनांक 10.01.2014 को आपूर्ति आदेश निकाला गया जिसके क्रय पर कुल [तरु] ₹ 15,67,500 व्यय हुआ | संचिका में संबंधित स्थानों जहां स्ट्रीट लाईट लगाने थे उसकी सूची नहीं पाई गयी। इसके साथ– साथ कार्यालय द्वारा भंडार पंजी का भी संधारण नहीं किया जा रहा है। संवेदक द्वारा अधिष्ठापित स्ट्रीट लाईटों की सूची भी संलग्न नहीं पाई गयी। अधिष्ठापित स्ट्रीट लाईटों का गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं वर्तमान भौतिक स्थिति भी नहीं पाया गया।

अंकेक्षण आपत्ति

1. कार्यालय द्वारा 550 स्ट्रीट लाईटें लगवाने थे **मगर** निविदा सूचना में मात्र एक अदद हेतु **निकाली गई | जवाब में बताया गया की जानकारी के अभाव में ऐसा किया गया था |**

(25)

2. संचिका में तुलनात्मक विवरणी **भी नहीं पाया गया | जवाब में बताया गया कि भविष्य में क्रय करते समय तुलनात्मक विवरणी बनाया** जाएगा |

3. संचिका में स्ट्रीट लाईटों की सूची, अधिष्ठापित स्ट्रीट लाईटों की सूची, गुणवत्ता प्रमाण पत्र एवं वर्तमान भौतिक स्थिति संलग्न नहीं **पाया गया | जवाब में बताया गया कि स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन सूची तैयार किया जाएगा |**

कार्यालय द्वारा दिया गया उपर्युक्त जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि कार्यालय द्वारा एक अद्द आलोक में 550 स्ट्रीट लाईटों का क्रय **किया गया मगर इससे सम्बंधित भण्डार पंजी/ अधिष्ठापन सूची आदि तैयार नहीं किया गया है जिस कारण यह स्पष्ट करना मुश्किल है कि सही में 550 अद्द स्ट्रीट लाईटों का क्रय किया गया या नहीं | अतः राशि रु 15,67,500 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है |**

कंडिका संख्या- 5 स्वर्ण जयंती रोजगार योजना (SJSRY) प्रशिक्षण पर अनियमित व्यय- रु 18.17 लाख

बिहार सरकार के पत्रांक 927 दिनांक 06.09.2012 के दिशानिर्देश के अनुसार बी.पी.एल. परिवार के युवक एवम् युवतियों को 17 व्यवसाय में प्रशिक्षण दिया जाना है | इस पत्र में यह भी चर्चा है कि प्रशिक्षण हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30.06.2012 है एवम् आपके द्वारा प्राप्त .आवेदनों के सम्बन्ध में व्यवसायवार पंजी संधारित करनी है | इस बात की सूचना विभाग के पत्रांक 317 दिनांक 09.04.2012,पत्रांक 427 दिनांक15.05.2015 तथा पत्रांक 507 दिनांक 12.06.2012 द्वारा दी जा चुकी थी जैसा की इस पत्र से स्पष्ट है |

उपर्युक्त पत्र 927 दिनांक 06.09.2012 के क्रम संख्या 11 पर स्पष्ट किया गया है कि आवेदन अपने स्तर से मापदंड के आधार पर प्राप्त कर लिया जाय |

बिहार सरकार के पत्रांक 507 दिनांक 12.06.2012 में यह उल्लेखित है कि प्राप्त आवेदनों पर अंकित बी.पी.एल. संख्या की सत्यता की जाँच नगर प्रबंधक और जहाँ नगर प्रबंधक नहीं है वहां स्वयं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा की जाएगी |

कार्यालय नगर पंचायत तेघरा के संचिका के जाँच में पाया गया कि शांतिदूत संस्था द्वारा 200 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न व्यवसाय में प्रशिक्षण दिया गया है जिसकी विवरणी निम्न है-

क्र.सं.	व्यवसाय (ट्रेड) का नाम	संस्था का नाम एवम् पता	प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रति लाभार्थी संस्था को भुगतान	संस्था को कुल भुगतान
1	फैशन डिजाईनिंग	**शांतिदूत,** 30/60 ऑफिसर्स फ्लैट्स के पीछे, हड़ताली चौक, बेली रोड, पटना	102	6800	693600
2	कंप्यूटर		65	6900	448500
3	ब्यूटिसियन		10	5900	59000
4	स्पोकन इंग्लिश		23	38500	88550
प्रशिक्षण देने वाले संस्थाओं को कुल देय राशि					**1289650**

इसके अलावे टूल किट्स के क्रय पर रु 5,27,500 व्यय हुआ | अतः प्रशिक्षण पर कुल 18,17,150 का व्यय किया गया |

संचिका के अवलोकन से निम्न कमियाँ दृष्टिगोचर हुई -

1. नगर पंचायत कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण हेतु उत्सुक आवेदकों का आवेदन कार्यालय स्तर पर प्राप्त करना था एवम् व्यवसायवार पंजी संधारित करना था | आवेदन की सत्यता की जाँच यानि बी.पी.एल. संख्या की सत्यता की जाँच नगर प्रबधक और जहाँ नगर प्रबंधक नहीं थे वहां कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा करना था | इसके उपरांत व्यवसायवार सूची तैयार कर प्रशिक्षण हेतु चयनित संस्था को उपलब्ध कराना था मगर कार्यालय द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया | इसके विपरीत संस्था द्वारा अपने स्तर से प्रशिक्षणार्थियों की सूची तैयार कर कार्यालय को उपलब्ध कराया गया था जो विभागीय आदेश का उलंघन है |
2. प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को उपलब्ध कराये गए टूल किट्स एवम् प्रशिक्षणापरांत उपलब्ध कराये गए प्रमाण-पत्रों की सूची के जाँच में पाया गया कि बहुत सारे लाभार्थियों के प्राप्ति के साक्ष्य के रूप में किये गए हस्ताक्षर दोनों सूची में अलग-अलग हैं।
3. कुल 200 आवेदकों को प्रशिक्षण दिया गया था मगर टूल किट्स एवम् प्रमाण-पत्रों के वितरण से सम्बंधित सूची के जाँच के क्रम में पाया गया कि कुल 198 लाभार्थियों को टूल किट्स एवम् मात्र 92 को प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया है |
4. संस्था द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत 30% लाभार्थियों को नियोजित करना था मगर संस्था द्वारा एक भी लाभार्थी को नियोजित नहीं किया गया फिर भी संस्था शांतिदूत को कुल राशि का भुगतान कर दिया गया |

अंकेक्षण आपत्ति

I. लेखापरीक्षा दल को स्पष्ट कराया जाय कि कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण हेतु आवेदन आवेदकों से मापदंड के आधार पर प्राप्त कर व्यवसाय पंजी तैयार करना था तत्पश्चात बी.पी.एल. की सत्यता की जाँच नगर प्रबंधक/ कार्यपालक पदाधिकारी से करने के बाद सूची तैयार कर प्रशिक्षण हेतु चयनित आवेदकों की सूची संस्था को अग्रसारित करना

123

था मगर कार्यालय द्वारा ऐसा क्यों नहीं किया गया और इसके विपरीत प्रशिक्षण देने वाले संस्था द्वारा तैयार की गई सूची के आलोक में प्रशिक्षण की अनुमति दे दी गयी|

2. बहुत सारे लाभार्थियों के हस्ताक्षर टूल किट्स एवम् प्रमाण-पत्र हेतु अलग- अलग संधारित प्राप्ति सूची में भिन्न है | अतः जालसाजी से इनकार नहीं किया जा सकता |
3. टूल किट्स क्रय हेतु कार्यालय द्वारा कोई भी निविदा आमंन्त्रित नहीं किया गया था | बिना निविदा के शांतिदूत संस्था द्वारा ही 200 टूल किट्स का क्रय किया गया जिस पर कुल रु 5,27,500 कार्यालय द्वारा भुगतान किया गया | यहाँ स्पष्ट करना है कि प्रमाण-पत्र मात्र 92 वितरित किये गए जबकि टूल किट्स 198 लाभार्थियों को प्रदान किया गया |
4. संस्था द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत 30% लाभार्थियों को नियोजित नहीं करने के बावजूद भी कार्यालय द्वारा कुल राशि का भुगतान कर दिया गया |
5. ऐजेंसी द्वारा बैचवार प्रशिक्षण सूची, उपस्थिति पंजी, प्रशिक्षकों की सूची, प्रशिक्षकों का वेतन भुगतान विवरणी एवम् प्रशिक्षकों का चयन का मापदंड आदि प्रस्तुत नहीं किये जाने के बावजूद भुगतान कर दिया गया |

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि आवश्यक जाँच कर सूचित किया जाएगा जो संतोषप्रद नहीं है क्योंकि प्रशिक्षण देने वाले एजेंसी द्वारा एकरारनामा के शर्तों के पूरा नहीं किये जाने के बावजूद भी कार्यालय द्वारा राशि का भुगतान कर दिया गया | अतः इसकी उच्चस्तरीय जाँच कराकर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाय तब तक राशि 18,17,150 (प्रशिक्षण पर रु 12,89,650 + टूल किट्स पर रु 5,27,500) अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है |

कंडिका संख्या-6 योजनाओं के क्रियान्वयन में नियमों का पालन नहीं किया जाना -

नगर पंचायत तेघड़ा द्वारा योजना से सम्बंधित उपलब्ध कराये गए संचिका एवम् विवरणी के जाँच के क्रम में निम्न कमियाँ दृष्टिगोचर हुई-

एकल निविदा के नियम का पालन नहीं किया जाना

चतुर्थ राज्य वित्त मद की 10 योजनाओं में एकल निविदा प्राप्त हुआ और कार्यालय द्वारा बिना नियम का पालन किये कार्य कराया गया है | इस परिस्थिति में एक स्तर के ऊपर के अधिकारी से स्वीकृति लेना आवश्यक होता है लेकिन कार्यालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया |

विभागीय कार्य में कार्यादेश का अनुपालन नहीं

ऐसी योजनायें जो विभागीय किये गए उनमें कार्यादेश एवम नियमों का पालन नहीं किया गया| श्री रवि कुमार, कनीय अभियंता को 18.12.2014 के कार्यादेश द्वारा तीन कार्य आवंटित किये

गए जिस पर कुल व्यय रु 16,33,714 का व्यय हुआ मगर कार्यालय द्वारा अग्रिम के रूप में मात्र 45,000 की ही राशि अभिकर्ता को दी गई | शेष राशि रु 15,88,714 संवेदक द्वारा अपने स्तर से व्यवस्था कर व्यय किया गया | ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण मुरारी कुमार, कनीय अभियंता को 18.12.2014 के कार्यादेश द्वारा तीन एवम् 26.03.2015 के कार्यादेश द्वारा तीन कार्य आवंटित किये गए जिस पर कुल व्यय रु 33,59,796 का व्यय हुआ मगर कार्यालय द्वारा अग्रिम के रूप में मात्र रु 60,000 की ही राशि अभिकर्ता को दी गई | शेष राशि रु 32,99,796 अभिकर्ता द्वारा अपने स्तर से राशि की व्यवस्था कर व्यय किया गया | कार्यालय द्वारा शेष राशि का भुगतान कार्य समाप्ति के बाद किया गया |

संचिका में कार्य के विरुद्ध संलग्न विपत्र पर या तो तिथि या हस्ताक्षर या फिर दोनों अंकित नहीं है | संचिका में संलग्न कोई भी मस्टर-रोल निरीक्षण पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है | इसके साथ किसी-किसी मस्टर-रोल में कार्य की अवधि भी अंकित नहीं है |

अंकेक्षण आपति

1. कार्यालय द्वारा एकल निविदा की स्थिति में एक स्तर ऊपर के अधिकारी से स्वीकृति क्यों नहीं ली गई थी | कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि नगर पंचायत द्वारा एकल निविदा की स्वीकृति 29.09.2014 के प्रस्ताव से अन्यान्य-03 द्वारा दी गयी थी |
2. विभागीय अभिकर्ताओं को कार्यालय द्वारा कार्य निष्पादन के दौरान राशि उपलब्ध नहीं कराये जाने के बावजूद भी संवेदक श्री रवि कुमार, कनीय अभियंता द्वारा रु 15,88,714 एवम् श्री कृष्ण मुरारी कुमार, कनीय अभियंता द्वारा रु 32,99,796 का व्यय किया गया | कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि दुकानदार द्वारा उधार सामग्री सम्बंधित अभिकर्ता को उपलब्ध कराया गया था |
3. योजना में प्रयोग किये गए सामानों के विपत्रों पर तिथि, हस्ताक्षर नहीं थे। कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि इस सम्बन्ध में कनीय अभियंता को नोटिस किया जा रहा है |
4. कोई भी मस्टर-रोल निरीक्षण पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवम् कार्य अवधी अंकित क्यों नहीं थे। कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि मस्टर रोल पर कार्य अवधी अंकित कर लिया जायेगा |

उपयुक्त आपत्तियों 2 से 4 का अनुपालन कर लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय |

(२)

कंडिका संख्या-7 विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं- रु 0.22 लाख

निविदा सूचना **संख्या-** 02 / 2014-15

योजना का नाम- वार्ड संख्या-03 में रामचंद्र महतो के घर से स्व. रामबालक महतो के घर तक मिट्टी एवम् सोलिंग कार्य

मद का नाम- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग

प्राक्कलित राशि- रु 2,21,900

एकरारित राशि- रु 2,04,148

कार्यादेश की तिथि- 22.01.2015

कार्य समाप्ति की अवधि- दो माह

कार्य प्रारंभ की तिथि- 22.01.2015

कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि- 21.03.2015

उपर्युक्त संचिका के जाँच के क्रम में पाया गया कि इस कार्य हेतु श्री अविनाश कुमार को संवेदक नियुक्त किया जिन्हें दो माह में इस कार्य को समाप्त करना था | मापी-पुस्त से स्पष्ट है कि यह कार्य दिनांक 15.05.2015 को समाप्त हुआ जो निर्धारित अवधी से लगभग दो माह विलम्ब है | नियमानुसार विलम्ब शुल्क के रूप में प्रतिदिन आधा प्रतिशत जो अधिकतम 10 % काटा जाना चाहिए था मगर कार्यालय द्वारा विलम्ब शुल्क रु 22,190 की कटौती क्यों नहीं की गई नहीं कर संवेदक को अनुचित लाभ दिया गया है | कार्यादेश के शर्तों के अनुसार संवेदक से कार्यों की गुणवता प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद भुगतान करना था मगर बिना गुणवता प्रतिवेदन के संवेदक को भुगतान कर दिया गया | संचिका में किये गए कार्य का फोटोग्राफ भी नहीं पाया गया |

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि जानकारी के अभाव में संवेदक से विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं की गई जो संतोषप्रद नहीं है | अतः राशि रु 22,190 की वसूली कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाय |

कंडिका संख्या-8 राशि का विचलन- रु 13.10 लाख

रोकड़बही के जाँच के क्रम में पाया गया की बी.आर.जी.एफ. मद से स्ट्रीट लाईट क्रय हेतु मेसर्स हिदायत इन्टरप्राईजेज को रु 13,10,350 का भुगतान किया गया | बी.आर.जी.एफ. मद से

जिस 13 प्रक्षेत्र में कार्य करना है उसमें स्ट्रीट लाईट नहीं आता इसके बावजूद भी कार्यालय द्वारा बी.आर.जी.एफ. मद की राशि का विचलन किया गया | यह कार्य जिला योजना समिति द्वारा भी पारित नहीं था | स्ट्रीट लाईट के क्रय हेतु बी.आर.जी.एफ. रोकड़बही से निम्न प्रकार राशि का भुगतान किया गया-

क्र.सं.	उदेश्य	चेक संख्या	दिनांक	राशि
01	स्ट्रीट लाईट क्रय	573216	12.06.2014	4,95,250
02		573212	02.04.2014	7,83,750
03	आयकर की राशि	603711	29.09.2015	31,350
कुल				**13,10,350**

लेखापरीक्षा दल द्वारा यह पूछे जाने पर कि राशि का विचलन कर स्ट्रीट लाईट का क्रय क्यों किया गया तथा क्या यह कार्य जिला योजना समिति से पारित है के जवाब में कार्यालय द्वारा बताया गया कि जानकारी के अभाव में राशि का विचलन कर दिया गया तथा यह योजना जिला योजना समिति से पारित नहीं है | इसकी प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी |

जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि राशि के विचलन के बारे में जानकारी नहीं होना या राशि का विचलन करना अनियमित था। अतः राशि की प्रतिपूर्ति कर लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय तब तक राशि रु 13,10,350 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है |

कंडिका संख्या -9 मोबाइल टावरों पर नवीकरण शुल्क की बकाया राशि- रु 0.80 लाख

बिहार संचार मीनार एवं सम्बंधित संरचना नियमावली 2012 की अधिसूचना (सं. 3692 दिनांक 08-10-12) के गजट में प्रकाशन के पश्चात् सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) सभी निकायों को मांग-पत्र प्रेषित हेतु निर्देश दिया गया था |

उपरोक्त नियमावली के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक मोबाइल टावर का पंजीयन फीस रू 30000 तथा वार्षिक नवीकरण फीस रु 8000 निर्धारित है | पुनः टावर पर लगाये गये प्रत्येक अतिरिक्त एंटीना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण फीस तथा नवीकरण फीस अतिरिक्त रूप से लगाया जाना है |

नगर पंचायत तेघड़ा अक्टूबर 2012 में गठित की गई है | कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए विवरणी के अनुसार मात्र सात संचार मीनार ही नगर पंचायत के अधीन अधिष्ठापित है | सर्वे

से सम्बंधित कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया | यह स्पष्ट नहीं हो सका कि स्थापित टावर पर अतिरिक्त एंटीनों की संख्या कितनी है तथा इस हेतु सम्पूर्ण सर्वे कब किया गया |

मोबाइल टावर हेतु मांग एवम् वसूली पंजी का संधारण कार्यालय द्वारा नहीं किया जा रहा था| कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए विवरणी से स्पष्ट है कि नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत मात्र सात मोबाइल टावर है जिनके विरुद्ध रु 80,000 बकाया शेष है |

लेखापरीक्षा दल को स्पष्ट कराया जाय कि

1. मोबाइल टावर कंपनियों पर बकाया से सम्बंधित मांग एवम् वसूली पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा है |
2. नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत ऐसी कम्पनियाँ जो बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत हुए एवम् बिना अनुमति के मोबाइल टावर अधिष्ठापित किये हैं से सम्बंधित प्रमाण संचिका में नहीं पाया गया |
3. नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत अधिष्ठापित टावरों पर कुल कितने अतिरिक्त एंटीना लगाया गया है इसका सर्वे कार्यालय द्वारा नहीं कराया गया जिस कारण अतिरिक्त एंटीनाओं पर 60 % की दर से पंजीकरण एवम् नवीकरण शुल्क की वसूली कार्यालय द्वारा नहीं किया जा रहा है |

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि सम्बंधित का अनुपालन किया जायेगा एवं बकाया वसूली का नोटिस किया जा रहा है | अतः उपर्युक्त आपतियों के अनुपालन के साथ-साथ बकाया राशि रु 80,000 की वसूली कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाय |

कंडिका संख्या- 10 बिना निविदा आमंत्रित किए क्रय एवं अधिक भुगतान 7.53 लाख

नगर पंचायत द्वारा दो अदद पानी टैंकर (4000 ली०) का क्रय तेरहवीं वित अयोग मद से रू. 1173000 व्यय कर किया गया था। आपूर्ति 16.12.2014 को मे० मुस्कान इंटरप्राइजेज, पटना द्वारा किया गया था। क्रय हेतु तीन फर्म का कोटेशन प्राप्त 19.11.2014 को किया गया था, जिसमें उका फर्म का दर न्यूनतम था। आपूर्ति आदेश 03.12.2014 को दिया गया था। बिना निविदा आमंत्रित किए क्रय करना वितीय अनियमितता है।

पुनः प्राप्ति की तिथि से 12.01.2016 तक पानी टैंकर से मात्र राशि रू. 11500 की आय ही हुआ था। स्पष्ट है कि एक पानी टैंकर निरर्थक ही क्रय किया गया था।